

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1174/2013/उदयपुर

मैसर्स वी.एस.वीयरिंग्स प्रा०लि०,
उदयपुर।

.....अपीलार्थी।

बनाम

सहायक आयुक्त,
वृत्त-सी, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुनील अग्रवाल,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 15/01/2014

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 248/वैट/2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.12.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 03.01.2012 को पारित किया गया था। जिसमें रिटर्न व ऑडिट रिपोर्ट देरी से पेश करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति रु. 27,800/- आरोपित की गयी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.12.2012 से प्रकरण सुनवाई का अवसर दिया जाकर शास्ति की कार्यवाही करने हेतु नोटिस देने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः प्रतिप्रेषित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने अपनी बहस में बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना नोटिस दिये यह शास्ति आरोपित की गयी है। जबकि कोई भी शास्ति बिना सुनवाई का अवसर दिये यह शास्ति आरोपित की गयी है। जबकि कोई भी शास्ति बिना सुनवाई का अवसर दिये आरोपित नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा धारा 65 व नियम 48 का हवाला देकर शास्ति को अविधिक बताया। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम चन्द्रा टायर रीट्रेडिंग कम्पनी (एससी) के निर्णय दिनांक 20.12.2000 का हवाला दिया। साथ ही (1) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 107 एवं 108/2004/जयपुर मैसर्स मेट्रो एप्लायंसेज लि०, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-प्रथम, जयपुर दिनांक 19.05.2004.

(2) राजस्थान टैक्स बोर्ड, जोधपुर अपील संख्या 609/99 Assistant Commercial Taxes Officer, Ward - III, Circle-D, Jodhpur V/s M/s Chandra Tyre Retreading Company, A-13, Kamla Nehru Nagar. Dated 20-12-2000 का हवाला भी दिया जाकर शास्ति को अविधिक बताया है।

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपनी बहस में बताया कि Return of Report पेश करने की दिनांक तक है। यदि कोई देरी होती है तो देरी के अनुसार केवल गणना की जाती है। इसमें सुनवाई को अवसर नहीं दिया गया था। जिसके कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया है। यदि अपीलार्थी व्यवहारी कोई समुचित कारण देरी का देता है तो उस पर कर निर्धारण अधिकारी विचार कर उचित निर्णय ले सकता है। अतः प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में कोई भूल नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित करने से पूर्व कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है। ऐसे में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि अपीलकर्ता द्वारा जिन निर्णयों का हवाला दिया गया है। उनके परिप्रेक्ष्य में कोई भी शास्ति बिना नोटिस दिये आरोपित नहीं की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इस प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है परन्तु शास्ति की कार्यवाही के लिए प्रतिप्रेषित करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। इन परिस्थितियों में इसी बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या-342/97 में दिनांक 26.12.2002 को पारित निर्णय मैसर्स सुनेर मार्बल एण्ड ग्रेनाईट प्रा0 लि0, बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी से यह बिन्दु पूर्णतया कवर्ड है, जिसमें यह माना गया है कि :- "The levy of penalty without issuing a specific valid notice under section 7AA & 16(1)(n) of RST Act, 1954 was also illegal being contrary to law....."

इसी तरह माननीय राजस्थान टैक्सेशन बोर्ड ऑफ जोधपुर ने Assistant Commercial Taxes Officer, Ward-III, Circle-D, Jodhpur V/s M/s Chandra Tyres Retreading Company, A-13, Kamla Nehru Nagar, Jodhpur में यह निर्णय किया गया है कि :-

I find no error in the order of the Board. It is well settled that no penalty under Sec. 7AA can be imposed without issuing proper notice to the assessee, It is found as a fact that no notice of the penalty under Sec. 7AA was issued before imposing the penalty thereunder. Therefore, setting aside of the penalty under Sec. 7AA was rightly upheld by the Board. उक्त निर्णय के अनुसार शास्ति अवैधानिक ठहरती है। अतः अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित करने के निर्णय व कर निर्धारण अधिकारी के शास्ति आरोपित करने के निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


1521-14
(अमर सिंह)
सदस्य